



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/ATY-3708/MH/75/2026-RU-1

दिनांक: 29.05.2026

जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट,
जिला-मुंबई-उपनगर,
कलेक्टर कार्यालय, मुंबई उपनगरीय जिला,
प्रशासनिक भवन, 10वीं मंजिल, सरकारी कॉलोनी,
चेतना कॉलेज के सामने, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई-400 051, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.mumbaisuburb@maharashtra.gov.in

पुलिस आयुक्त, मुंबई,
महाराष्ट्र सरकार,
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,
डी. एन रोड, क्रॉफर्ड मार्केट के सामने,
मुंबई, महाराष्ट्र 400001
ई-मेल: cp.mumbai@mahapolice.gov.in
dcpzone5-mum@mahapolice.gov.in

विषय: मौजे कन्हेरी (बोरीवली), जिला मुंबई उपनगर स्थित भूमि क्रमांक 436/1 से 436/6 पर कथित अवैध कब्जा, SRA परियोजना में अनियमितता एवं विधिक उत्तराधिकारी को मुआवजा/कमरा प्रदान करने के संबंध में दिनांक 16.02.2026 को श्री देवेन्द्र वसंत वाचिया द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.03.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली 110003 में दिनांक 15.06.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री देवेन्द्र वसंत वाचिया

पता: वसंत वाचिया चाल, अंबेवाड़ी, पश्चिम एक्सप्रेस हाईवे,
किंगफिशर ऑफिस के पास,
सहर पी एंड टी कॉलोनी, मुंबई, महाराष्ट्र - 400099
मोबाइल नं.: 9867006377

कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं. NCST/ATY-3708/MH/75/2026-RU-1

दिनांक: 18.03.2026

जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट,
जिला मुंबई उपनगर
कलेक्टर कार्यालय, मुंबई उपनगर जिला
प्रशासनिक भवन, 10वीं मंजिल, सरकारी कॉलोनी
देवना कॉलेज के सामने, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई 400 051, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.mumbaibusuburb@maharashtra.gov.in

पुलिस आयुक्त, मुंबई,
महाराष्ट्र सरकार
पुलिस आयुक्त का कार्यालय
टी एन रोड, ऑफिस मार्केट के सामने
मुंबई, महाराष्ट्र 400001
ई-मेल: cp.mumbai@mahapolice.gov.in
dcpzone5-mum@mahapolice.gov.in

विषय: मीजे कन्हारी (वोरीवली), जिला मुंबई उपनगर स्थित भूमि क्रमांक 436/1 से 436/6 पर कथित अवैध कब्जा, SRA परियोजना में अनियमितता एवं विधिक उत्तराधिकारी को मुआवजा/कमरा प्रदान करने के संबंध में दिनांक 16.02.2026 को श्री देवेन्द्र वसंत वाचिया द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री देवेन्द्र वसंत वाचिया से दिनांक 16.02.2026 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदान शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का समीक्षात्मक रूप से निष्पत्ति करने का निश्चय किया है। अतः आयोग परतदुवारा अनुसूचित जनजाति के लाभ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संवदर साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदान शिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको समन भी जारी कर सकता है।

संलग्न पथोपरि.

0/c

(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री देवेन्द्र वसंत वाचिया
पना वसंत वाचिया नाल, अंबेवासी,
पश्चिम एकराप्रिस हाईवे,
किंगफिशर ऑफिस के पास
साहू भी एंड टी कॉलोनी, मुंबई, महाराष्ट्र 400099
मोबाइल नं.: 9867006377

8981/9023/9083
24/25-03-2026